संख्या-153/2022/1378/003-23-9-2022-13नाबार्ड-एसएम-2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊक दिनांक 30 अक्टूबर, 2022**

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के 04 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 04 कार्यो हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 1,90,10,000/- (रूपये एक करोड़ नब्बे लाख दस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / लागत मूल	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1891/CE-HQ1/RIDF27/LKO/2022-23 Dt-20-10-2022	उन्नाव	जेरा से पाण्डेयपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9	58.44	29.20	0.02	29.22	23.37
2	1892/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt-20-10-2022	बहराइच	मटेरा इंटहा गढ़वा नौतला --के किमी (अजिमा)15 से निकलने वाले खैरा धौकल सम्पर्क मार्ग किमी-3 से भुजंग पुरवा समपर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9	90.24	3.02	8.36	78.86	63.09
3	1892/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt-20-10-2022	बहराइच	बंजरिया पतरहिया गढीघाट के (अजिमा) -किमी8 से निकलने वाले बल्दीरामपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी-1 से घिसियावन पुरवा सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9	142.02	4.76	0.41	136.85	88.73
4	1892/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt-20-10-2022	गोण्डा	फरेन्दा जरवल राज्य मार्ग सं0 1 ए के किमी 217 से बायें गोसाईपुरवा सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9	150.27	120.22	0.12	29.93	14.91
		योग							**190.10**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बनधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,90,10,000 (रुपये एक करोड़ नव्वे लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

संख्या-153/2022/1378(1)/003-23-9-2022-13नाबार्ड-एसएम-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in